रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2019/श्रावण 29, 1941
No. 469] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2019/SHRAVANA 29, 1941

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 579(अ).—चूंकि वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने के लिए वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार, एक प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 362 (अ) तारीख 1 मई, 2019 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी थी जिसमें उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उस तारीख को, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं, से तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और चूंकि उक्त अधिसूचना की राजपत्र में प्रकाशित प्रतियां तारीख 15 मई, 2019 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थीं;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के बावत प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (तृतीय संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में,--

(क) नियम 93 में,-

(i) उपनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु वायुयान (छठा संशोधन) नियम, 2018 के प्रारंभ होने से पूर्व वायु यातायात सेवाओं में लगा हुआ व्यक्ति महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सेवाओं का, जब तक वह अनुज्ञपित अभिप्राप्त नहीं कर लेता है या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उपबंध करना जारी रख सकेगा ।"

(ii) उपनियम (2) के अधीन परंतुक का लोप किया जाएगा ।

(ख) नियम 112 के उपनियम (3) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"(क) महानिदेशक या सरकार के नियंत्रणाधीश महानिदेशक द्वारा सम्यकत: प्राधिकृत संगठन अनुसूची 3 के अधीन अपेक्षित जांच और निर्धारण संचालित करने के लिए परीक्षक नियुक्त कर सकेगा तथा जांच और निर्धारण संचालित करने के लिए, जहां आवश्यक हो, किसी बोर्ड की भी नियुक्ति कर सकेगा ।"

(ग) अनुसूची 3 में, भाग (क) में पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात :-

"5. परीक्षक या बोर्ड द्वारा निर्धारण – पृष्ठांकन प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति धारक या वायु यातायात नियंत्रक अनुज्ञप्ति धारक का महानिदेशक द्वारा नियुक्त बोर्ड या केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीश महानिदेशक द्वारा सम्यकत: प्राधिक्रत संगठन निर्धारण करेगा।"

[फा.सं. एवी-11012/2/2017-ए]

शेफाली जुनेजा, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 02 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित तारीख 25 जून, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 468 (अ) द्वारा किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2019

G.S.R. 579(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required under section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 362(E), dated the 1st May, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to public;

And whereas copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 15th May, 2019;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Aircraft (Third Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, —

(a) in rule 93, —

(i) after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that a person engaged in the provision of air traffic services before the commencement of the Aircraft (Sixth Amendment) Rules, 2018, may continue to provide such services in accordance with the procedure specified by the Director-General till he obtains the licence or till a date to be notified by the Central Government, whichever is earlier.";

(ii) the proviso under sub-rule (2) shall be omitted;

(b) in rule 112, in sub-rule (3), for clause (a), the following shall be substituted, namely: —

"(a) The Director-General, or any organisation under the control of the Governmentduly authorised by the Director-General,may appoint examiners for conducting examinations and assessment required under Schedule III and may also appoint a Board to conduct examinations and assessment, wherever necessary.".

(c) in Schedule III, in Section A, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"**5. Assessment by the examiner or Board.—**For getting an endorsement, the holder of a Student Air Traffic Controller's Licence or an Air Traffic Controller's Licence shall be assessed by an examiner or a Board, appointed by the Director-General or an organisationunder the control of the Government duly authorised by the Director-General.".

[F. No. AV-11012/2/2017-A]

SHEFALI JUNEJA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 468(E), dated the 25th June, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 02nd July, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.08.21 15:11:15 +05'30'